संख्या: शिक्षा-एच-(प्रा ०)-(शा० शि ० - 08)–प्रतिनियुक्ति / 2025-26.
स्कूल शिक्षा निदेशालय,
हिमाचल प्रदेश लालपानी शिमला -171001 ।
दिनांक शिमला 171001 मई, 2025 ।

Directorate of School Education
27 MAY 2025
Himachal Pradesh, Shimla-171001

सेवा में

समस्त उप - निदेशक स्कूल शिक्षा
हिमाचल प्रदेश ।

विषय: **प्रतिनियुक्ति संबंधी दिशा-निर्देश।**

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपको निर्देशित किया जाता हैं कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत किसी भी कार्मिक की अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति, यदि किसी विभाग द्वारा अनुरोधित की जाती है, तो ऐसे सभी प्रकरणों में प्रतिनियुक्ति से संबंधित समस्त **प्रतिनियुक्ति अतिरिक्त भत्तों का वहन उक्त अनुरोधकर्ता विभाग द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।** इस संबंध में यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि शिक्षा विभाग अपने कार्मिकों की अन्य विभागों में की जाने वाली प्रतिनियुक्ति की स्थिति में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त भत्तों का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त, यह भी निर्देशित किया जाता है कि किसी भी प्रतिनियुक्ति की स्वीकृति से पूर्व कार्य की आवश्यकता तथा व्यवहार्यता (Feasibility) का समुचित परीक्षण सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। कार्य की वास्तविक आवश्यकता एवं परीक्षण के आधार पर ही प्रतिनियुक्ति प्रस्तावित की जाए। अन्यथा, ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले अधिकारीगण एवं संबद्ध कार्मिक उत्तरदायित्व के भागी माने जाएंगे।

निदेशक
स्कूल शिक्षा निदेशालय
हिमाचल प्रदेश शिमला-01 ।

पृष्ठांकन संख्या सम दिनांक शिमला ०१ मई, 2025 ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

01. तकनीकी अधिकारी, आंतरिक, आई टी सेल को निर्देश दिए जाते है की वह पत्र को विभागीय बेव साईट पर अपलोड करें।

02. रक्षत नस्ति।

निदेशक
स्कूल शिक्षा निदेशालय
हिमाचल प्रदेश शिमला-01 ।